न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—42/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड, 201—202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कावायर—मान सरोवर, औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी सेवाराम पुत्र श्री सत्यनारायण जाति मोदी शाखा प्रभारी, हनुमानगढ।

——प्रार्थी

विरूद्ध

1. जगतार सिंह पुत्र श्री गेंदा सिंह निवासी वार्ड नंबर 9, नुकेरा, 2 पीटीपी, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थी/ऋणी

2. कुलदीप कौर पत्नी जगतार सिंह निवासी वार्ड नंबर 9, नुकेरा, 2 पीटीपी, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण/सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश दिनांकः—13.08.2022

प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड, 201—202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कवायर मानसरोवर, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी सेवाराम पुत्र श्री सत्यनारायण शाखा प्रभारी, हनुमानगढ़ की ओर श्री भवानी सिह निर्बाण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड प्रार्थी की एक वित्तीय कम्पनी है जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ है जिसका पंजीकृत कार्यालय 201—202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कवायर मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी हाऊसिंग फाईनेन्स के व्यवसाय में कार्यरत है तथा नैशनल हाऊसिंग बैंक अधिनियम 1986 के निर्धारित मानदण्डों से अधिशासित है। प्रार्थी कम्पनी आवासीय गृहों की खरीद, निर्माण एवं गृहों के विस्तार से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्त सुविधा प्रदान करती है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी कम्पनी से दिनांक 16.09.2019 को राशि 3,00,000/—रूपये अखरे तीन लाख रूपये का ऋण जरिये चैक प्राप्त किया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज व खर्चे के पुनः भुगतान सिक्योरिटी के पेटे अपने स्वामित्व की अचल सम्पति निर्मित आवासीय भूखण्ड पट्टा नंबर 3, साईज 281.77 वर्गगज वाके नुकेरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ को प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बन्धक किया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ने ऋण करार के अनुसार नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 06.11.2021 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा उपरोक्त ऋणीयों के ऋण खाता को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया।

प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस दिनांक 30.12.2021 जारी कर दिनांक 18.01.2022 को रजिस्टर्ड से नोटिस भेजकर कुल राशि 3,15,423/—रूपये का भुगतान 60 दिवस में करने हेतु सूचित किया व यह नोटिस सूचना दैनिक नवज्योति में दिनांक 21.01.2022 को प्रकाशित भी करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त ऋण में दिनांक 27.12.2021 तक

Web Copy - Not Official

कुल ऋण राशि 3,15,423/—रूपये अतिदेय ब्याज, खर्चे व लागत आदि मदो में बकाया है जिसका भुगतान करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 जिम्मेवार है।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण ऋणी व सहऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया जाना तथा अखबारो में मांग सूचना प्रकाशित करवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक अचल सम्पति आवासीय भूखण्ड पट्टा नंबर 3, साईज 281.77 वर्गगज वाके नुकेरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ व उस पर निर्मित मकान का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़